उद्योग विभाग,
बिहार, पटना

मुख्यमंत्री समेकित हस्तकरघा विकास योजना के कियान्वयन हेतु दिशा–निर्देश एवं विहित प्रकिया

इस योजना के कियान्वयन पदाधिकारी, संबंधित जिला के महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र/ भागलपुर एवं गया के लिए उप विकास पदाधिकारी (वस्त्र) गया/भागलपुर द्वारा मुख्यमंत्री समेकित हस्तकरघा विकास योजना के विभिन्न घटकों में निहित योजनाओं के कियान्वयन हेतु इस दिशा–निर्देश का पालन निश्चित रूप से किया जायेगा।

पूराने करघे के स्थान पर नये करघे उपलब्ध कराना, कॉर्पस फंड की राशि उपलब्ध कराना, कर्मशाला निर्माण।

हस्तकरघा कलस्टरों में बुनकरों का चयनः– मुख्यमंत्री समेकित हस्तकरघा विकास योजनान्तर्गत बुनकरों को लाभान्वित करने हेतु राशि सीधे उनके खाते में स्थानांतरित की जायेगी। इसलिए इन तीनों योजनाओं के लिए बुनकरों के चयन हेतु निम्न प्रकिया अनिवार्य रूप से कियान्वयन पदाधिकारी द्वारा अपनाया जायेगा।

- कियान्वयन पदाधिकारी अपने अधीनस्थ उद्योग विस्तार पदाधिकारी/तकनीकी पर्यवेक्षक/सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, योजना के पात्र बुनकरों के लिए निर्धारित निम्न शर्तों के अनुसार हस्तकरघा कलस्टर के बुनकरों की जांच कर प्रतिवेदन समर्पित करेंगे।
- कियान्वयन पदाधिकारी इस प्रतिवेदन का सैम्पुल जांच, स्थल निरीक्षण कर पूर्ण रूप से संतुष्ट होंगे कि ये बुनकर, पात्र बुनकरों की शर्तों को पूरा करते हैं।
- तदोपरान्त प्रत्येक कलस्टर के लिए अलग–अलग पंजी में इन्हें पंजीकृत करेंगे। **पंजीयन संख्या का नमूना– पटना/सिगोड़ी/5 (महिला/पूरूष)**

इस योजना में पात्र बुनकर निम्न रूप से होंगेः–

(i)– बुनकर जो न्युनतम एक वर्ष से बुनाई कार्य कर रहे हों।

(ii)– भारत सरकार द्वारा जिन्हें बुनकर पहचान–पत्र निर्गत किया गया हो, अथवा वास्तविक रूप से बुनाई कार्य करने का महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र/उप विकास पदाधिकारी (वस्त्र) द्वारा बुनकर पहचान पत्र निर्गत किया गया हो।

(iii)– विगत 8 वर्षों में उन्हें राज्य सरकार/केन्द्र सरकार द्वारा अनुदान पर लूम, कॉपर्स फंड की राशि तथा कर्मशाला–सह–आवास का लाभ नहीं लिया हो।

(iv)– 18–55 वर्ष की आयु के बुनकर योजना के लाभ के पात्र होंगे। 18–50 वर्ष की आयु के बुनकरों को चयन में प्राथमिकता दी जायेगी।

(v)– ये बुनकर संबंधित कलस्टर/जिला के निवासी हों।

(vi)– बुनकर परिवार के एक सदस्य को योजना का लाभ दिया जायेगा। पति,पत्नी एवं उस पर आश्रित संतान को एक परिवार माना जायेगा।

(vii)– बुनकर के पास अपना कार्यरत लूम हो।

अथवा

बुनकर किसी अन्य मास्टर बुनकर के यहां मजदूरी पर बुनाई कार्य करते हों और अपने घर में लूम स्थापित करने की जगह हो।

(viii)– कर्मशाला योजना के लिए अपने आवास से सटे 250 वर्गफीट का अपना भूमि उपलब्ध हो।

(ix)– बुनकर का किसी वाणिज्यिक बैंक में बचत खाता हो।

आवेदन प्राप्ति की प्रकियाः-

- कार्यान्वयन पदाधिकारी पंजीकृत बुनकरों को योजना के सभी पहलुओं से अवगत कराने हेतु एक कार्यशाला आयोजन कलस्टर में करेंगे, जिसमें पंजीकृत बुनकर, उस कलस्टर के नजदीक स्थित वाणिज्यिक बैंक शाखा एवं संबंधित कलस्टर के जन प्रतिनिधि को योजनाओं के सभी पहलुओं से अवगत कराया जायेगा।
- कार्यशाला आयोजन के एक पक्ष के अन्दर बुनकरों से विहित प्रपत्र में (संलग्न परिशिष्ट–'क' में) आवेदन–पत्र, पांच स्वप्रमाणित फोटो, शपथ–पत्र एवं सभी वांछित अनुलग्नकों की छाया प्रति के साथ दो प्रति में आवेदन–पत्र प्राप्त किया जायेगा।
- प्राप्त आवेदन पत्रों को उस कलस्टर की पंजी में पंजीयन संख्या एवं फोटोग्राफ के साथ संधारित किया जायेगा।
- एक आवेदन–पत्र पर पंजीयन संख्या एवं हस्ताक्षरित प्राप्ति अंकित कर आवेदक को लौटा दिया जायेगा, जिसे चयन के समय अनुलंग्नकों की मूल प्रति के साथ, बुनकरों को लाना होगा।

चयन प्रकियाः-

- बुनकरों का चयन हेतु निम्नवत् समिति का गठन किया जाता हैः–

(i)– जिला पदाधिकारी– अध्यक्ष

(ii)– महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र/गया एवं भागलपुर के लिए उप विकास पदाधिकारी (वस्त्र), गया / भागलपुर– संयोजक सदस्य

(iii)– जिला कल्याण पदाधिकारी– सदस्य

(iv)– परियोजना प्रबंधक– सदस्य

(v)– जिला पदाधिकारी द्वारा मनोनीत संबंधित कलस्टर के 3 बुनकर– सदस्य

- महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र/उप विकास पदाधिकारी (वस्त्र) चयन समिति में बुनकर सदस्य के मनोनयन हेतु प्रस्ताव जिला पदाधिकारी को प्रस्तुत करेंगे।
- कियान्वयन पदाधिकारी बुनकरों की पात्रता की जांच करने के उपरांत चयन हेतु जिला पदाधिकारी की सहमति से बैठक आयोजित करेंगे।
- चयन समिति की बैठक की तिथि का प्रचार व्यापक रूप से कलस्टर में किया जायेगा।
- चयन समिति द्वारा आवेदन के साथ संलग्न कागजातों का मिलान मूल प्रति से किया जायेगा।
- बैठक के तीन दिनों के अन्दर चयनित बुनकरों की सूची जिला पदाधिकारी कार्यालय तथा जिला उद्योग केन्द्र/उप विकास पदाधिकारी (वस्त्र) के कार्यालय के सूचना पट पर प्रकाशित करेंगे, ताकि चयन में पूर्ण पारदर्शिता हो।
- प्रत्येक कलस्टर के निर्धारित लक्ष्य के अनुसार बुनकरों का चयन किया जायेगा। बाकी बुनकरों को प्रतीक्षा सूची में रखा जायेगा। इनकी सूची

कलस्टर की पंजी में पंजीयन संख्या एवं फोटो के साथ संधारित किया जायेगा।

<u>एक बुनकर उपर्युक्त तीनों योजनाओं का लाभ एक साथ प्राप्त कर सकते हैं, परन्तु यह आवश्यक नहीं है, कि एक बुनकर को तीनों योजनाओं का लाभ अनिवार्य रूप से प्राप्त हो।</u>

<u>भुगतान की प्रकियाः-</u>

(क)– पूराने करघे के स्थान पर नये करघे उपलब्ध कराना।

- इस हेतु प्रत्येक बुनकर को 15000/– (पन्द्रह हजार) रूपये की राशि उनके बैंक खाता में उपलब्ध करायी जायेगी। बुनकर इस राशि की निकासी दो किस्तों में कर पायेंगे।
- पहली किस्त में वे 12000/– (बारह हजार) रूपये की निकासी कर लूम एवं साज–सज्जा खरीदकर स्थापित कर सूचना महाप्रबंधक/उप विकास पदाधिकारी (वस्त्र) को देंगे।
- उद्योग विस्तार पदाधिकारी/तकनीकी पर्यवेक्षक/सहकारिता प्रसार पदाधिकारी के स्थल जांच के उपरान्त उनकी अनुशंसा के आलोक में कार्यान्वयन पदाधिकारी के रैण्डम जांच के उपरान्त दूसरी किस्त की राशि 3,000/– (तीन हजार) रूपये विमुक्त करने हेतु बैंक को निदेशित करेंगे।

उपरोक्त राशि से बुनकर को निम्नवत् उपकरण खरीदना होगा :–

– न्यूनतम 42''(RS) तथा अधिकतर 100'' RS का लूम।
– पोस्ट 4'X 4' सखुआ निर्मित होना चाहिए।
– स्ले सागवान निर्मित होना चाहिए।
– रीड, वय,, क्लोथ बीम, वार्प बीम, लीज रॉड, टेकअप मोशन, लेटऑफ मोशन, बफर, पीकर एवं अन्य सभी साज–सज्जा जो एक लूम के लिए आवश्यक है।

(ख)– कॉर्पस फंड की राशि उपलब्ध कराना।

- नये करघे स्थापित करने हेतु प्राप्त कुल–15,000/–(पन्द्रह हजार) रूपये का उपयोग कर लाभुक बुनकर उपयोगिता प्रमाण–पत्र, कियान्वयन पदाधिकारी को समर्पित करेंगे।
- उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर, कियान्वयन पदाधिकारी उस बुनकर को सूत खरीदने हेतु एक मुश्त पांच हजार रू0 उनके बैंक खाते में उपलब्ध करायेंगे।
- इस राशि से लाभूक बुनकर को एक महीना के बुनाई कार्य के लिए सूत खरीदना अनिवार्य होगा।
- लाभुक बुनकर सूत खरीदकर, सूत खरीद संबंधी रसीद के साथ लिखित रूप से सूचना संबंधित कियान्वयन पदाधिकारी को देंगे।
- बुनकर इस राशि का उपयोग सूत खरीद के लिए कॉर्पस फंड के रूप में करेंगे, अर्थात् कय किए गए सूत से तैयार वस्त्रों की बिक्री से प्राप्त आय से

कम से कम 3000/– (तीन हजार) रू0 प्रति माह बैंक खाता से लेन–देन करना अनिवार्य होगा।

(ग)– कर्मशाला निर्माण।

- उपर्युक्त दोनों योजनाओं में दी गयी राशि का सदुपयोग करनेवाले एवं लक्ष्य के अनुरूप चयनित बुनकरों को कर्मशाला निर्माण में 40,000/– (चालीस हजार रू0) उपलब्ध कराया जायेगा, जिसका भुगतान लाभुक बुनकर के बैंक खाता में 25,000/– (पचीस हजार रू0) एवं 15,000/–(पन्द्रह हजार रू0) दो किस्तों में की जायेगी।
- प्रथम किस्त 25,000/– (पचीस हजार रू0) प्राप्ति के एक माह के अन्दर कर्मशाला का निर्माण प्रारम्भ कर देना होगा। इस राशि के व्यय होने पर लाभुक बुनकर अर्ध निर्मित कर्मशाला का फोटोग्राफ के साथ लिखित सूचना कियान्वयन पदाधिकारी को देते हुए शेष राशि 15,000/–(पन्द्रह हजार रू0) की मांग करेंगे।
- कियान्वयन पदाधिकारी इसकी जांच कर संतुष्ट होकर ही द्वितीय किस्त की राशि बैंक खाता में हस्तान्तरण करेंगे।
- इस मद की पूरी राशि प्राप्त करने के तीन माह के अन्दर, लाभुक बुनकर कर्मशाला निर्माण कर फोटोग्राफ के साथ उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे।
- बुनकर अगर आवश्यक समझें तो उन्हें उपलब्ध करायी गयी 40,000/– (चालीस हजार रू0) से अधिक स्वयं की राशि, व्यय कर बड़े आकार का कर्मशाला का निर्माण कर सकते हैं।

<u>सामान्य सुलभ सेवा केन्द्रः–</u>

सामान्य सुलभ सेवा केन्द्र में डिजाईनदार बुनाई, बईंडिंग, वार्पिंग, साईजिंग, डाईंग आदि की सुविधा न्यूनतम शुल्क का भुगतान कर, बुनकर प्राप्त करेंगे।

<u>भूमिः–</u>

- एक सामान्य सुलभ सेवा केन्द्रों के लिए लगभग 6000 वर्गफीट भूमि की जरूरत होगी।
- भूमि की व्यवस्था निम्नरूप में प्राथमिकता के आधार पर की जायेगी :–

– बुनकर सहयोग समिति का भवन/जमीन, अथवा
– बुनकर की जमीन, अथवा
– उपर्युक्त उपलब्ध नहीं होने पर संबंधित जिला पदाधिकारी से जमीन प्राप्त किया जायेगा।

सामान्य सुलभ सेवा केन्द्र में प्रस्तावित सुविधाएँः–

– डिजाईनदार बुनाई की सुविधा
– वाईंडिग की सुविधा
– वार्पिंग की सुविधा
– साइजिंग की सुविधा
– रंगाई की सुविधा

सुलभ सेवा केन्द्र का भवनः

- इस केन्द्र के लिए न्यूनतम 6000 वर्गफीट का एक पक्का भवन बनाया जायेगा, जिसमें पर्याप्त रोशनी, बिजली, पानी, भण्डार गृह, शौचालय की सुविधा होगी।
- इसके लिए नक्शा एवं प्राक्कलन कियान्वयन पदाधिकारी द्वारा स्थानीय स्तर पर तैयार करवाया जायेगा। इसकी प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति जिला पदाधिकारी द्वारा दी जायेगी तथा इसका निर्माण कियान्वयन पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा।
- सुलभ सेवा केन्द्र में प्रस्तावित सुविधाओं के अधिष्ठापन हेतु मशीनरी, उपकरण, आवश्यक सामग्रियों का कय कियान्वयन पदाधिकारी द्वारा विहित प्रकिया का पालन करते हुए किया जायेगा।
- प्रति सुलभ सेवा केन्द्र का अनुमानित व्यय इस प्रकार हैः–

(i) भवन निर्माण – 60.00 लाख रूपया

(ii) लूम एवं अन्य उपस्कर (यथा–बाईंडिंग

वार्पिंग, साईजिंग, रंगाई, रंग–रसायन आदि) 20.00 लाख रूपया

कुल राशि– 80.00 लाख (अस्सी लाख रूपये मात्र)

प्रति सुलभ सेवा केन्द्र निर्माण हेतु 80.00 लाख (अस्सी लाख रूपये मात्र) कार्यान्वयन पदाधिकारी को उपलब्ध करायेंगे।

- इस राशि का व्यय उसी वित्तीय वर्ष में किया जायेगा, जिसमें राशि उपलब्ध करायी गयी है।
- सुलभ सेवा केन्द्र के निर्माण का पर्यवेक्षण जिला पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा। जिला पदाधिकारी तकनीकी पर्यवेक्षण हेतु सक्षम पदाधिकारी को प्रतिनियुक्त करेंगे।

सामान्य सुलभ सेवा केन्द्र का संचालन :– सुलभ सेवा केन्द्र की स्थापना के बाद इसकी देखरेख के लिए निम्नवत् संचालन समिति गठित किया जाता हैः–

– संबंधित जिला के महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द/ उप विकास पदाधिकारी (वस्त्र), गया एवं भागलपुर के लिए	अध्यक्ष
– जिला कल्याण पदाधिकारी	सदस्य
–जिला पदाधिकारी के प्रतिनिधि	सदस्य
–परियोजना प्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र	सदस्य
–तीन बुनकर प्रतिनिधि (जिला पदाधिकारी द्वारा मनोनीत)	सदस्य

समिति के दायित्व :-

- प्रत्येक छः माह में समिति की बैठक आहूत की जायेगी जिसमें केन्द्र के आय–व्यय, शुल्क कार्यपद्धति आदि का मूल्यांकन किया जायेगा। आवश्यकतानुसार कभी भी बैठक बुलाई जा सकती है। महा प्रबंधक, जिला उद्योग केन्द/उप विकास पदाधिकारी (वस्त्र) द्वारा संबंधित अभिलेख एवं पंजी का संधारण किया जायेगा।

- सामान्य सुलभ केन्द्र में इकाईवार सुविधा का एक आसान शुल्क निर्धारित रहेगा, जिसका निर्धारण संचालन समिति द्वारा किया जायेगा। बुनकर शुल्क भुगतान कर सुविधा प्राप्त करेंगे और प्राप्त होने वाले शुल्क, की राशि सामान्य सुलभ सेवा केन्द्र के संचालन एवं रख–रखाव में व्यय किया जायेगाा।
- स्थापित सामान्य सुलभ सेवा केन्द्र का दैनिक रख रखाव एवं अस्थायी स्वामित्व उस प्रक्षेत्र/कलस्टर के गठित स्वयं सहायता समुह को उनके गुण–दोष के आधार पर चयन कर सौंपा जायेगा, जिसके लिए चयनित स्वयं सहायता समुह से एक एकरारनामा भी कार्यान्वयन पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा। यह एकरारनामा दो साल के लिए मान्य होगा।
- चयनित स्वयं सहायता समुह के कार्यकलापों से असंतुष्ट होने पर संचालन समिति को यह अधिकार प्राप्त रहेगा कि एकरारनामा कभी भी रद्द किया जा सकता है।
- सुलभ सेवा केन्द्र का दैनिक रख–रखाव, इससे प्राप्त आय से, चयनित स्वयं सहायता समुह करेगी। सरकार द्वारा अलग से कोई राशि भुगतेय नहीं होगी।

<u>यार्न डिपो</u>

यार्न डिपो के माध्यम से बुनकरों को उचित मुल्य एवं गुणवत्तायुक्त सूत उपलब्ध कराया जायेगा।

- सर्वश्री भागलपुर एवं बांका के लिए हैण्डलूम इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेंट, भागलपुर को 5.00 करोड़ (पांच करोड़) रूपये उपब्ध कराये जायेगे।
- इस राशि से भागलपुर तथा बांका में एक–एक यार्न डिपो स्थापित किया जायेगा।
- ~~इस राशि में यार्न डिपो का किराया, कॉर्पस फंड तथा संचालन व्यय शामिल होगा।~~
- कार्यान्वयन अभिकरण भागलपुर तथा बांका के हस्तकरघा बुनकरों के लिए आवश्यक एवं उपयुक्त सभी प्रकार के सूती, रेशमी एवं अन्य यार्न पर्याप्त मात्रा में अपने यार्न डिपो में बिकी हेतु रखेंगे। यार्न का क्रय भारत सरकार द्वारा संचालित मिल गेट प्राईस स्कीम के अन्तर्गत करेंगे, ताकि बुनकर को सस्ते से सस्ते दर पर गुणवत्तायुक्त सूत उपलब्ध हो सके।
- हस्तकरघा बुनकरों की मांग पर विशेष प्रकार के यार्न की आपूर्ति की व्यवस्था भी कार्यान्वयन अभिकरण करेंगे।
- योजना कार्यान्वयन के द्वितीय वर्ष यानि वर्ष 2013–14 में राज्य के पटना, औरंगाबाद, गया, मधुबनी और सीवान के लिए 10.00 करोड़ (दस करोड़) रूपये उपलब्ध कराये जायेंगे।
- कार्यान्वयन अभिकरण BHID से सम्तुल्य राशि का बैंक गारन्टी प्राप्त होने पर राशि विमुक्त की जायेगी। ये बैंक गारन्टी प्रति वर्ष नवीकृत करना होगा।
- राशि उपलब्ध कराने के एक वर्ष के बाद BHID को ये राशि चार बराबर किस्तों में वापस करना होगा।

बुनकर हाट

- बुनकर हाट का डिजाईन एवं कार्यान्वयन प्रोफेसनल परामर्शी से कराया जायेगा।
- परामर्शी का चयन जिला पदाधिकारी द्वारा विहित प्रकिया अपनाकर किया जायेगा।
- इस योजना के लिए नियुक्त परामर्शी के परामर्श के आधार पर बुनकर हाट का डिजाईन, आकार आदि तय किया जायेगा, तद्नुसार बुनकर हाट के लिए आवश्यक भूमि एवं अनुमानित लागत में फेरबदल सम्भावित है।
- बुनकर हाट में एक ही स्थान पर विभिन्न प्रकार के हस्तकरघा उत्पादों का प्रदर्शन एवं बिक्री की व्यवस्था रहेगी। भागलपुर में 100 स्टॉल का एक हाट निर्माण किया जायेगा। इसके लिए निम्न रूप से भूमि की व्यवस्था सम्भावित है:–

स्टॉल निर्माण एवं सामान्य प्रसाधन–	5000 वर्गफीट
(स्टॉल साईज– 6''x8''–100 स्टॉल)	
औपन स्पेस एवं पार्किंग–	5000 वर्गफीट

- **भागलपुर हाट के निर्माण में अनुमानित व्यय**

(i) 10,000 वर्ग फीट भूमि का मूल्य – 1.00 करोड़ रूपये

(ii) चहारदिवारी एवं भवन निर्माण लागत – 5.00 करोड़ रूपये

कुल राशि (अनुमानित) – 06.00 करोड़ रूपये।

- इस हाट की सफलता को देखते हुए अन्य बुनकर बाहुल्य जिलों यथा, गया, औरंगाबाद, मधुबनी, पटना एवं सीवान में 50–50 स्टॉल का एक–एक हाट का निर्माण किया जायेगा।

अन्य 5 हाटो के निर्माण में अनुमाणित व्यय

(i) 5000 वर्ग फीट भूमि का मूल्य प्रति हाट 50 लाख x 5=- 2.50 करोड़

(ii) चहारदिवारी एवं भवन निर्माण प्रति हाट 2-50 करोड़ x 5= 12.50 करोड़

15-00 करोड़

- परामर्शी शुल्क मद में 1.00 करोड़ (एक करोड़) रूपये जिला पदाधिकारी, भागलपुर को उपलब्ध कराया जायेगा, जो छः प्रस्तावित बुनकर हाट के लिए डिजाईन, नक्शा आदि तैयार कर बुनकर हाट का निर्माण करायेंगे।
- भागलपुर हाट की सफलता का मूल्यांकन कर ही अन्य जिलों में यथा:– गया, औरंगाबाद, मधुबनी, पटना एवं सीवान में हाट निर्माण के लिए डिजाईन, नक्शा भागलपुर हाट के लिए चयनित परामर्शी द्वारा तैयार किया जायेगा।
- बुनकर हाट निर्माण होने पर जिला पदाधिकारी, हाट का स्वामित्व सर्वश्री भागलपुर हैण्डलूम इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेंट को संचालन हेतु सौंपेंगे।
- भागलपुर हैण्डलूम इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेंट, राज्य के बुनकर को 10 दिनों के लिए स्टॉल आवंटित करेंगे एवं निर्धारित शुल्क उनसे प्राप्त कर हाट का रख–रखाव करेंगे।

- संबंधित जिला के कियान्वयन पदाधिकारी इसका संचालन एवं रख–रखाव का परामर्श निम्नवत् गठित संचालन समिति की अनुशंसा पर भागलपुर हैण्डलूम इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेंट को देंगे।
- बुनकर हाट संचालन समिति का गठन इस प्रकार किया जाता है:–

– संबंधित जिला के महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द / अध्यक्ष

उप विकास पदाधिकारी (वस्त्र), गया एवं भागलपुर के लिए

– जिला कल्याण पदाधिकारी सदस्य

–जिला पदाधिकारी के प्रतिनिधि सदस्य

–परियोजना प्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र सदस्य

–तीन बुनकर प्रतिनिधि (जिला पदाधिकारी द्वारा मनोनीत) सदस्य

समिति के दायित्व :-

- प्रत्येक छः माह में समिति की बैठक आहूत की जायेगी जिसमें केन्द्र के आय–व्यय, शुल्क कार्यपद्धति आदि का मूल्यांकन किया जायेगा। आवश्यकतानुसार कभी भी बैठक बुलाई जा सकती है। महा प्रबंधक, जिला उद्योग केन्द/उप विकास पदाधिकारी (वस्त्र) द्वारा संबंधित अभिलेख एवं पंजी का संधारण किया जायेगा।
- बुनकर हाट के प्रति स्टॉल शुल्क का निर्धारण संचालन समिति द्वारा किया जायेगा। बुनकर शुल्क भुगतान कर 10 दिनों के लिए स्टॉल किराया पर प्राप्त करेंगे। प्राप्त होने वाले शुल्क की राशि, बुनकर हाट के संचालन एवं रख–रखाव में व्यय किया जायेगाा।
- बुनकर हाट का दैनिक रख रखाव भागलपुर हैण्डलूम इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेंट द्वारा किया जायेगा। सरकार द्वारा अलग से कोई राशि भुगतेय नहीं होगी।
- कियान्वयन पदाधिकारी एवं भागलपुर हैण्डलूम इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेंट के साथ एकरारनामा किया जायेगा।
- विभाग को यह अधिकार रहेगा, कि भागलपुर हैण्डलूम इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेंट का कार्यकलाप असंतुष्ट पाये जाने पर कभी भी रद्द किया जा सकता है।

पर्यवेक्षण एवं मूल्यांकनः- चूंकि मुख्यमंत्री समेकित हस्तकरघा विकास योजना एक महत्वाकांक्षी योजना है। इसलिए इस योजना के कार्यान्वयन में पूरी पारदर्शिता हो, इसके लिए मुख्यालय स्तर पर एक निगरानी कोषांग गठन किया जायेगा।

योजना के कियान्वयन अवधि में स्थल निरीक्षण हेतु निदेशालय स्तर पर एक निगरानी कोषंग का गठन किया जाता है, जिसका स्वरूप निम्न प्रकार है:–

1– निदेशक, हस्तरकघा एवं रेशम बिहार, पटना।
2– संयुक्त उद्योग निदेशक (योजना प्रभारी)
3– सहायक उद्योग निदेशक (योजना प्रभारी)
4– एक तकनीकी पर्यवेक्षक

- निदेशालय स्तर पर गठित निगरानी कोषांग के लिए एक वाहन, एक कम्प्युटर ऑपरेटर, एक इन्टरनेट सुविधा के साथ कम्प्युटर आदि की व्यवस्था की जायेगी।
- योजना कार्यान्वयन में बुनकरों को प्राप्त हो रहे लाभ का अध्ययन प्रतिवेदन भी किसी ख्याति प्राप्त संस्था से सामाजिक अंकेक्षण एवं मूल्यांकन का कार्य करवाया जायेगा, जिसके लिए उन्हें शुल्क का भुगतान किया जायेगा।
- योजना का लाभुकों के बीच में प्रचार–प्रसार हेतु मुख्यालय स्तर पर एवं क्षेत्रीय स्तर पर कार्यशाला का आयोजन किया जायेगा।

ब्रान्डिंगः

बुनकरों द्वारा उत्पादित वस्त्रों की ओर राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का केता आकर्षित हो सके, इसके लिए क्षेत्रवार उत्पादित वस्त्रों का ब्रान्डिंग किया जायेगा, जिसके लिए ख्याति प्राप्त संस्था से अभिरूची आमंत्रण के माध्यम से चयनित कर उनका ब्रान्डिंग का कार्य किया जायेगा।

समीक्षाः- 1– योजना की समीक्षा मासिक रूप से निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम द्वारा की जायेगी एवं प्रत्येक तीन माह पर प्रधान सचिव, उद्योग विभाग द्वारा समीक्षा की जायेगी।

2– महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र/उप विकास पदाधिकारी (वस्त्र) द्वारा अपने–अपने क्षेत्रों में कार्यान्वित योजनाओं का स्थल जांच करेंगे, करघे एवं कॉर्पस फंड की पूरी विमुक्त हो जाने के तीन माह के अन्दर यह सुनिश्चित करेंगे कि बुनकर उत्पादन कार्य शुरू कर देंगे। ऐसा नहीं होने पर कार्यान्वयन पदा0 दोषी बुनकर पर उनके द्वारा प्रस्तुत की गयी शपथ पत्र के आलोक में कानूनी कार्रवाई करेंगे।

निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय
बिहार, पटना।

मुख्यमंत्री समेकित हस्तकरघा विकास योजना वर्ष 2012–13 से 2015–16 की निर्धारित प्रकिया में संशोधन ।

अनुसूची–'क'

क0	शीर्ष जिसमें संशोधन करना है	वर्तमान प्रावधान	प्रस्तावित संशोधन	संशोधन का औचित्य
1	2	3	4	5
1	**योजना के पात्र बुनकर**	भारत सरकार द्वारा जिन्हें बुनकर पहचान पत्र निर्गत किया गया हो, अथवा वास्तविक रूप से बुनाई कार्य करने का महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र/उप विकास पदाधिकारी (वस्त्र) द्वारा बुनकर पहचान पत्र निर्गत किया गया हो।	योजना के पात्र बुनकरों में वर्तमान प्रावधान के अलावा स्वास्थ्य बीमा योजना कार्ड धारक को शामिल किया जाता है।	योजना का लाभ अधिक से अधिक बुनकर ले सकें।
2	**भुगतान की प्रकिया**	(क)– पात्र एवं चयनित बुनकरों को पूराने करघे के स्थान पर नये करघे उपलब्ध कराने हेतु 15000/–रू0 की राशि उनके बैंक खाता में उपलब्ध करायी जायेगी। बुनकर इस राशि की निकासी दो किस्तों में कर पायेंगे। (ख)– लूम स्थापित कर उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करने के उपरान्त कॉर्पस फंड की राशि 5000/– रू0 लाभुक के बैंक खाता में उपलब्ध करायी जायेगी। (ग)– उपर्युक्त दोनों योजनाओं में दी गयी राशि का सदुपयोग करनेवाले बुनकरों को कर्मशाला निर्माण हेतु 40,000/– रू0 उपलब्ध कराया जायेगा, जिसका भुगतान लाभुक बुनकर के बैंक खाता में 25,000/– एवं 15,000/– रू0 दो किस्तों में की जायेगी।	– कर्मशाला निर्माण हेतु चयनित एवं पात्र बुनकरों को सर्वप्रथम 40,000/– रू0 दो किस्तों में (प्रथम किस्त–25,000/– एवं द्वितीय किस्त– 15,000/–) उनके बैंक खाता में उपलब्ध करा दिया जायेगा। – साथ ही वैसे बुनकर जिन्हें केडिट कार्ड निर्गत हो और ऋण खाता नियमित हो उनके बुनकर केडिट कार्ड के ऋण खाता में कॉर्पस फंड की राशि 5000/– रू0 उपलब्ध कराया जायेगा। – कर्मशाला निर्माण की राशि का सदुपयोग कर उपयोगिता प्रमाण पत्र बुनकरों द्वारा समर्पित करने पर नये करघे क्रय करने हेतु 15000/– रू0 राशि का भुगतान दो किस्तों में (प्रथम किस्त–12,000/– एवं द्वितीय किस्त– 3,000/–) उनके बैंक खाता में किया जायेगा।	मुख्यमंत्री समेकित हस्तकरघा विकास योजना के कियान्वयन के क्रम में पदाधिकारियों द्वारा क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान बुनकरों द्वारा अवगत कराया गया, कि बुनकरों को आवास की समुचित व्यवस्था नहीं रहने के कारण नये लूम स्थापित करने में कठिनाई हो रही है, इसलिए सर्वप्रथम कर्मशाला निर्माण हेतु अनुदान की मांग की गयी।

(122)

3	**विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0– 4052 दि0–21.8.12 एवं आदेश सं0–1415 दिनांक– 25.03.13 द्वारा स्वीकृत योजना का कियान्वयन**	पात्र एवं चयनित बुनकरों को नये लूम कय हेतु 12,000/– रू0 प्रथम किस्त उपलब्ध करायी गयी है।	यदि बुनकर माह–सितम्बर,13 तक नये करघे कय कर द्वितीय किस्त की राशि की मांग करते हैं तो उन्हें द्वितीय किस्त की राशि 3000/– रू0 उपलब्ध कराया जायेगा। साथ ही कमांक–2 के कॉलम–4 के अनुसार कर्मशाला निर्माण एवं कॉर्पस फंड का भुगतान किया जायेगा। अथवा यदि बुनकर माह–सितम्बर, 13 तक लूम कय नहीं करते हैं और कर्मशाला निर्माण अनुदान प्राप्त करने के लिए भी चयनित हैं, तो यह 12000/– रू0 कर्मशाला निर्माण हेतु व्यय करने की अनुमति दे दी जायेगी और इसे प्रथम किस्त माना जायेगा। पूर्व से निर्धारित कर्मशाला निर्माण की विहित प्रकिया का अनुपालन करने पर शेष 28,000/– अनुदान दिए जायेगे। अथवा यदि बुनकर माह– सितम्बर,13 तक लूम कय नहीं करते हैं और कर्मशाला निर्माण के लिए चयनित नहीं हैं और कर्मशाला निर्माण की पात्रता रखते हैं तो चयन समिति से चयनित होने पर उपर्युक्त के अनुसार कार्रवाई की जायेगी। अथवा यदि बुनकर सितम्बर,13 तक लूम कय नहीं करते हैं और कर्मशाला निर्माण के लिए चयनित नहीं हैं और पात्रता नहीं रखते हैं उन्हें राशि लौटानी होगी। नहीं लौटाने पर कानूनी कार्रवाई की जायेगी।	

6/9/13

निदेशक,
हस्तकरघा एवं रेशम,
बिहार, पटना।

आवेदन पत्र का प्रारूप

स्वहस्ताक्षरित फोटो

1– आवेदक/आवेदकों का पूरा नाम– श्री/सुश्री .....

2– पिता/पति का नामः–.....

3– आयुः–.....जन्मतिथि.....

4– लिंग (पुरूष/महिला).....

5– श्रेणी सामान्य/एससी/एसटी/अल्पसंख्यक(कृपया इंगित करें).....

6– वर्तमान निवास पता.....

.....

.....

7– स्थाई निवास पता.....

.....

.....

8– फोन नंम्बर/मोबाईल नम्बर (यदि हो तब).....

9– हस्तकरघा बुनकर पहचान पत्र नम्बर/हस्तकरघा बुनकर की कोई अन्य आई0डी0 सं0.....

.....(आई0डी दस्तावेज का नाम).....

9.1– जारी करने की तारीख..... जारीकत्ता प्राधिकारी.....

10– बुनाई का प्रकार.....

11– किस प्रकार के करघे स्थापित करने के इच्छुक हैं–

12– स्वयं के करघे हैं या नहीं.....

13– यदि मास्टर बुनकर के यहां कार्य कर रहे हैं तो मास्टर बुनकर का नाम एवं पूरा पता अंकित करें.....

.....

.....

14– हैण्डलूम बुनाई का अनुभव.....

15– बुनकर सोसाईटी का सदस्य हैं/अथवा नहीं .....

यदि हां तो

क– सोसाईटी का नाम.....

ख– सदस्य संख्या.....

16– वर्तमान बैंक खाता.....

16.1– बैंक का नाम..... शाखा का नाम.....

मैं एतद् द्वारा घोषित करता हूँ कि उपर्युक्त व्यौरे हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य एवं सही हैं। गलत पाये जाने पर सक्षम पदाधिकारी द्वारा हमारे विरूद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

स्थान
दिनांक–

आवेदक का हस्ताक्षर

आवेदक का नाम

(151)

स्थल जांच प्रतिवेदन

श्री/सुश्री/श्रीमती..... पुत्र/पुत्री/धर्मपत्नी..... द्वारा दिए गए इस आवेदन पत्र को चेक करने के उपरान्त स्थल जांच किया एवं पाया कि वे गत ..... वर्षों से बुनाई कार्य कर रहे हैं एवं बुनकर वर्तमान में जिस लूम पर बुनाई कार्य कर रहे हैं उन्हें बदलने की जरूरत है। इन्हें मुख्यमंत्री समेकित हस्तकरघा विकास योजना के विभिन्न घटकों 1.....2.....3.....के माध्यम से लाभान्वित करने की अनुशंसा की जाती है।

उद्योग विस्तार पदाधिकारी/तकनीकी पर्यवेक्षक
/सहकारिता विस्तार पदाधिकारी

आवेदन चयन समिति के समक्ष उपस्थापित करने की अनुशंसा की जाती है/नहीं की जाती है।
आवेदन अनुशंसा नहीं किये जाने का कारण–

1–
2–
3–

महाप्रबंधक/उप विकास पदाधिकारी (वस्त्र)

(150)

घोषणा एवं शपथ पत्र

मैं .....पुत्र/पुत्री/धर्मपत्नी–.....
आयु..... वर्ष..... निवासी (पूरा पता)–.....
.....
..... एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ एवं वचन देता हूँ कि–

1– मैं उपरोक्त पते पर रहता हूँ।

2– मेरा मुख्य पेशा बुनाई कार्य है एवं गत..... वर्षों से बुनाई कार्य लगातार कर रहा हूँ।

3– मैं एतद् द्वारा वचन देता हूँ कि यदि मुझे करघे स्थापित, कॉर्पस मनी एवं कर्मशाला निर्माण हेतु राशि उपलब्ध कराई जाती है तो मैं उसी मद में राशि खर्च करूंगा जिस मद में राशि विमुक्त की गयी है।

4– मैं एतद् द्वारा वचन देता हूं कि यदि मेरे द्वारा राशि का दुरूपयोग किया गया तो मुझपर कानूनी कार्रवाई की जाये।

5– मैं एतद द्वारा वचन देता हूं कि गत 10 वर्षों के अन्दर शत प्रतिशत अनुदान पर नये करघे, कॉर्पस फंड की राशि एवं कर्मशाला निर्माण हेतु राशि राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा नहीं उपलब्ध कराई गयी है।

6– मैं वचन देता हूं कि मेरे परिवार के दूसरे सदस्य/आश्रित इस योजनान्तर्गत आवेदन पत्र नहीं समर्पित किया गया है।

7– मैं एतद द्वारा वचन देता हूं कि मैं उन सभी शर्तों एवं निदेशों का पालन करूंगा जो राज्य सरकार द्वारी निर्धारित की जायेगी।

8– मैं एतद द्वारा वचन देता हूं कि यदि मुझे करघे स्थापित, कॉर्पस मनी एवं कर्मशाला निर्माण हेतु राशि उपलब्ध कराई जाती है तो एक माह के अन्दर करघे को चालू कर बुनाई कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा।

हस्ताक्षर एवं अंगुठे का निशान

(वचनकर्त्ता/घोषणाकर्त्ता का नाम)

हम संपुष्टि करते हैं कि श्री/सुश्री/श्रीमती..... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री..... ने उपरोक्त घोषणा/वचन पत्र बिना किसी दबाव/आग्रह के स्वस्थ मानसिक स्थिति में हमारे सामने दिनांक..... घोषित करते हुए हस्ताक्षरित/सम्पादित किया है।

स्थान–
दिनांक–

हस्ताक्षर मुहर सहित